बहुमंजिली इमारतों, सिनेमाघरों आदि में अग्नि सुरक्षा के उपाय

*249. **श्री छांगुर राम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व दिल्ली स्थित गोपाल-टावर में आग लगने से भारी नुकसान हुआ था,

(ख) क्या इस घटना के बाद बहुमंजिली इमारतों, सिनेमाघरों, होटलों, आदि में अग्नि-सुरक्षा के पर्याप्त उपाय बरतने पर जोर दिया गया था तथा क्या अनेक होटलों और सिनेमाघरों के लाइसेंस भी इसी कारण रद्द अथवा निलम्बित किए गए थे,

(ग) यदि हां, तो क्या इन सभी इमारतों में अग्नि सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) गोपाल टावर में अग्नि-कांड की घटना के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने नेहरू प्लेस कम्पलैक्स, राजेन्द्र प्लेस कम्पलैक्स और कनाट प्लेस क्षेत्र में सभी भवनों का स्वीकृत भवन योजना से विचलन की जांच करने हेतु निरीक्षण करने के लिए और इसकी भी जांच करने के लिए कि क्या आग के बारे में अपेक्षित उपाय किए गए हैं, दिल्ली विकास अधिकरण, नई दिल्ली नगर पालिका, पुलिस और नागरिक सुरक्षा के अधिकारियों का एक दल गठित किया। निरीक्षण के बाद कई निर्माताओं को नोटिस दिए गए कि वे पूर्णत: चालू हालत में अग्नि शमन उपकरण लगवाएं और अतिरिक्त अग्नि सुरक्षा उपायों की भी व्यवस्था करें। यह जांच करने के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया गया है कि क्या दिल्ली में सभी सिनेमाघर पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपाय अपना रहे हैं। 13 सिनेमाघरों के सीनेमाटोग्राफ लाइसेंस अग्नि सुरक्षा और/अथवा भवन विनियमनों की कमी के कारण स्थगित किए गए। परन्तु इस कारण किन्हीं होटलों के लाइसेंस न तो रद्द किए गए हैं और न स्थगित किए गए हैं।

दिल्ली प्रशासन द्वारा नियुक्त किए गए विभिन्न दलों द्वारा किए गए निरीक्षणों के परिणामस्वरूप, 194 भवनों में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपायों की कमी पाई गई। इन भवनों के मालिकों/कब्जेदारों को उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए नोटिस दिए गए। अग्नि सुरक्षा अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इन भवनों में निरीक्षण किए जा रहे हैं।

Irregularities and Malpractices in Lotteries

*251. SHRIMATI USHA PRAKASH CHOUDHARI :
PROF. SAIF-UD-DIN SOZ : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are aware of serious irregularities and malpractices in the lotteries run by the States and the Central Services like the Armed Forces as revealed in the Hindustan Times dated 8 February, 1984;

(b) whether several States had invited tenders from private parties to give them a contract on payment of guarantee money; and